अंडमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
राजभाषा विभाग
OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT
******

Port Blair, dated the 2020

NOTIFICATION

No. /F.No. 2-14/2019/OL - In exercise of the powers conferred by the proviso to the Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, Notification No. 14039/2/83-ANL dated 21.02.1985 and read with DOPT's O.M.No.AB-14017/46/2011-Estt.(RR) dated 19.09.2013, the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman & Nicobar Islands, hereby makes the following amendments to the Recruitment Rules to **GROUP 'A' Gazetted** post of "**Hindi Officer"** in the Official Language Department, Andaman & Nicobar Administration published in the A & N Extraordinary Gazette Notification No.117/2012, dated 31.05.2012 and No. 38/2017 dated 16.03.2017, namely -

1. Short title and commencement :-

(i) These Rules may be called Andaman & Nicobar Administration (Group 'A' post of Official Language Department), (Gazetted), (Ministerial) Recruitment (Amendment) Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. AMENDMENTS

(i) The existing entries against column-1 of the Schedule appended to the Recruitment Rules (herein after called for brevity as the "said recruitment Rules") shall be substituted as under :-

Name of Post	**ASSISTANT DIRECTOR(OL)**

(ii) The term "**Senior Hindi Translator**" used in the entries against Column 11 under heading "**Promotion**" shall be substituted as "**Senior Translation Officer**" and the term "**Hindi Officer"** used in the entries against Column 11 under heading "**Note-1"** shall be substituted as **"Assistant Director(OL)"**.

Admiral D.K. Joshi (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman & Nicobar Islands.

By order and in the name of Lieutenant Governor

Assistant Director (OL)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINSTRATION
राजभाषा विभाग
OFFICIAL LANGUAGE DEPARTMENT

...

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक दिसंबर, 2020.

प्रारुप अधिसूचना

सं. फा. सं. 2—14/2019—राजभाषा। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 21.02.1985 की अधिसूचना संख्या 14039/2/83—ए.एन.एल. तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 19.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.बी.—14017/46/2011—स्था.(आर.आर.) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक), अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतदद्वारा दिनांक 31.05.2012 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 117/2012 तथा दिनांक 16.03.2017 के अधिसूचना संख्या 38/2017 में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के राजभाषा विभाग की स्थापना में **'हिन्दी अधिकारी' के** वर्ग 'क' राजपत्रित पद की भर्ती नियमावली में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :—

(i) इन नियमों को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (राजभाषा विभाग के वर्ग 'क' पद) (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय) भर्ती नियमावली, 2020 कहा जा सकेगा ।

(ii) ये नियम इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. संशोधन

(i) भर्ती नियमावली (यहां इसके पश्चात संक्षेप में "उक्त भर्ती नियमावली" कहा जाएगा) में अनुलग्न अनुसूची के विद्यमान **कॉलम—1** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः—

पदनाम	सहायक निदेशक (राजभाषा)

(ii) अनुसूची के कॉलम—11 में प्रयुक्त **'पदोन्नति'** शीर्षक के तहत **'वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक'** शब्द को **'वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी'** से तथा **'नोट—1'** के तहत प्रयुक्त **'हिन्दी अधिकारी'** शब्द को **'सहायक निदेशक(राजभाषा)'** से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

एडमिरल डी.के.जोशी (अवकाश प्राप्त)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सहायक निदेशक (राजभाषा)